प्र.सं. 13/2021 छगन व अन्य बनाम अमरिया मृतक के बजाय श्रीमती कविता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की ग्राम छोटी सरवन में कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 789, 1133, 1244, 1269, 1280, 1309/507 कुल खेत 6 रकबा 28 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर वादीगण अपने बाप–दादाओं के समय से काबिज चले आ रहे हैं तथा पुराने सेटलमेन्ट के समय वादी के पिता दितिया के नाम दर्ज थी, जिसे वादी के पिता ने नोतोड़ निकाली थी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी, जबकि अमरिया लाऔलाद है तथा उसकी परिवरिश वादीगण के पिता ने ही की, परन्तु अमरिया ने धोखे में रखकर नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा नामान्तरकरण के विरूद्ध न तो कोई आपत्ति दर्ज की गयी है न ही अपील प्रस्तुत की गयी है एवं इतने लम्बे अन्तराल के बाद मनगढ़न्त कथनों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि खातेदारान वादीगण छगन व नानकराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 अमरिया के मध्य आपसी समझौता होकर उसकी की पालना में आराजी नंबर 1133/2, 1244/2, 1280, 1934/1309, 789/2 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज किये गये हैं, जो विधि अनुरूप है। वादीगण द्वारा पूर्व में चले वाद संख्या 31/2008 में हुए निर्णय दिनांक 17.05.2008 का कोई उल्लेख अपने वाद में नहीं किया है। वादीगण क्लीन हैण्ड ने नहीं आये हैं। अतः वादीगण का वाद मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 28.07.2021 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 20.09.2021 को यह अपील प्रस्तुत की गई है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री तसलीम अहमद उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के आधार पर अपीलान्टगण का वाद खारिज कर दिया, जबकि अपीलान्ट का वाद विधि वर्जित नहीं है। वादीगण का विवादित आराजियात पर अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा वादी के पिता ने उक्त भूमि नोतोड़ निकाली है, परन्तु रेस्पोन्डेन्ट अमरिया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 730 दिनांक 09.03.1991 अपने नाम दर्ज करवा लिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण संख्या 31/2008 के वाद में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टगण की सहमति व जानकारी के बिना राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री करवा लिया है, जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्टगण की कोई सहमति नहीं थी। वादीगण का वाद विधि वर्जित नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक नजीर 2023 (2) DNJ (Rev.) Page 1372 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि वर्ष 1991 में ही पक्षकारों के मध्य आपसी बंटवारा सहमति के आधार पर हो चुका था, जबकि दावा वर्ष 2019 में लेकर आये हैं। अपीलान्ट/वादीगण ने तथ्यों को छुपाते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं। बंटवारे की अपील वादीगण द्वारा की जा सकती थी, जो नहीं की गयी है। अपने कथन के समर्थन मे न्यायिक नजीर 2008 (3) DNJ (Raj.) Page 1343 प्रस्तुत कर बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि आदेश 7 नियम 11 ज.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी लिखित कथन प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय से साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। साबिक जमाबन्दी में विवादित आराजियात वादीगण के पिता दितिया के खातेदारी में अंकित है, जबकि जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 में दितिया के पुत्र वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा अमरिया का 1/2 हिस्सा अंकित है तथा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में आराजी नंबर 1133/2, 1244/2, 1280, 1934/1309, 789/2 कुल किता 5 रकबा 2.2976 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अमरिया के खातेदारी में अंकित है, जिसे अमरिया ने वाद संख्या 31/2008 में हुए निर्णय अनुसार सहमति से प्राप्त करना बताया है, जबकि वादीगण इस तथ्य से इंकार करते हैं। वादीगण के वाद में ऐसे कौन से कथन वर्णित है, जिसके आधार पर वादीगण का वाद विधि वर्जित था, इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नहीं किया है, जबकि संबंध में अपीलान्टगण द्वारा जो न्यायिक नजीर 2023 (2) DNJ (Rev.) Page 1372 प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुसार प्रार्थी द्वारा उठाये गये प्रश्नों को तनकियात विरचित करने और साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद निर्णित किया जा सकता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2019 में पारित निर्णय एवं डिक्री 28.07.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर एवं तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 13/2021 छगन व अन्य बनाम अमरिया मृतक के बजाय श्रीमती कविता

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested